न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला –अजमेर(राजस्थान)

राजस्व प्रार्थना पत्र / ( )

गोपाल पुत्र नंदा जाति गूर्जर निवासी बघेरा तहसील केकड़ी जिला अजमेर —अपीलार्थी

बनाम

.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी जिला अजमेर (राज) —प्रत्यार्थी

अपील अंतर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थितः–श्री गोपाल– अपीलार्थी

पैरोकार सरकार तहसीलदार केकड़ी राजस्थान सरकार –'प्रत्यार्थी

आदेश

दिनांक 7.7.2021

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी गोपाल,बन्ना,देवकरण पि0 नंदा की तरफ से प्रार्थी गोपाललाल ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत इन्द्राज दुरूस्ती बावत् प्रस्तुत करने पर प्रकरण की जॉच तहसीलदार केकड़ी से करवायी गयी। तहसीलदार केकड़ी ने अपनी जॉच रिपोर्ट उनके कार्यालय के पत्र कमांक/भू.अ./2020/778 दिनांक 2.2.2021 द्वारा प्रस्तुत की। रिपोर्ट मे बताया गया कि ग्राम बघेरा की जमाबंदी संवत् 2073–2076 के खाता संख्या 242 मे किता 04 रकबा 3.40 है0 पर गोपाल,बन्ना,देवकरण पिता लादू,जमनी पत्नि लादू,लाली,कैलाशी, पुत्रियां लादू हि0 1/4 दर्ज है। वर्किंग जमाबंदी संवत् 2041 के खाता संख्या 1119 मे उक्त आराजी पर लादू वल्द उरजा गूजर हि01/2 दर्ज है। भू प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान आधार जमाबंदी मे लादू वल्द उरजा के स्थान पर लादू वल्द नंदा दर्ज हुआ। ग्राम बघेरा की जमाबंदी संवत् 2065–68 के खाता संख्या 1319 किता 4 रकबा 3.40 है0 पर लादू पुत्र नंदा हि01/4 कौम गूजर दर्ज होकर नामा0 संख्या 3217 दिनांक 14.02.2011 जरिये विरासत लादू पुत्र नंदा के स्थान पर जमनी पत्नि लादू ,गोपाल,बन्ना,देवकरण ,कैलाशी,लाली पि0 लादू कौम गूर्जर अंकन स्वीकार हुआ। प्रार्थीगण ने अंतर्गत धारा 136 के वल्दियत लादू के स्थान पर नंदा दुरूस्त करने का निवेदन किया है। प्रार्थीगण की वल्दियत जरिये नामा0 दर्ज हुई है,अतः प्रकरण अपीलीय है। पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। नामा0 संख्या 3217 दिनांक 14.02.2011सरपंच ,ग्राम पंचायत बघेरा द्वारा स्वीकार किया गया है। सरपंच ग्राम पंचायत बघेरा द्वारा नामान्तरकरण को स्वीकार किये जाने मे त्रुटि कारित की है। इस नामान्तरकरण की अपील सुनने का श्रवणाधिकार इस न्यायालय मे निहित है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रस्तुत किया है जिसमे दर्शित कारण सही प्रतीत होते है अतः न्यायहित मे प्रार्थी की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है। प्रार्थी को शीघ्र व सुलभ न्याय उपलब्ध करवाने के दृष्टिकोण को ध्यान मे रखते हुए प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम को अपील अंतर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत सुनवाई की जानी उचित है। अतः प्रकरण अपील अंतर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम के रूप मे दर्ज रजिस्टर किया जावे। ग्राम बघेरा का नामान्तरकरण संख्या 3217 दिनांक 14.02.2011 मृतक लादू पिता नंदा का खोला गया था जो गलत होना पाया जाता है तथा उसके स्थान पर फौत शुदा व्यक्ति का नाम नंदा पिता लादू होना चाहिए था। [illegible] खोला गया है। अतः उक्त प्रश्नगत नामा0 संख्या नामा0 संख्या 3217 दिनांक 14.02.2011 [illegible] जाता है, तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार केकड़ी को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि [illegible] पिता लादू फौत शुदा के वारिसो की भलीभांति जॉच कर नामान्तरकरण की [illegible] करिकेन अपना अपना वहन करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2021.07.29 18:38:34 IST
Reason: SelfAttested

आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी

Scanned with CamScanner